न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 150/2016 वाद

मांगीलाल पिता बंशीलाल शुक्ला ब्राह्मण, आयु 75 साल, निवासी आक्या, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

गजेन्द्र सिंह पिता अर्जुन राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कदमाली, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादी

दावा

अन्तर्गत धारा 183, 188 रा.का.अधि.

श्री आशाराम प्रजापत, अधिवक्ता वादी, उपस्थित

निर्णय **दिनांक 14.09.2020**

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 183–188 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा आक्या में प्रार्थी की खातेदारी की आराजी नं. 35, 106 व 145 कुल किता 3 कुल रकबा 2.1200 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात के पडोसीगण जबरन वादी की जमीन पर कब्जा करने पर आमदा हैं। वादी ने इस पर माननीय न्यायालय में पत्थरगढ़ी का आवेदन पत्र प्रकरण संख्या 45/2013 प्रस्तुत किया। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2013 को पत्थरगढ़ी का आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश की पालना में राजस्व अधिकारियों द्वारा पत्थरगढ़ी दिनांक 12. 05.2016 को की गई। पत्थरगढ़ी में मौके पर आराजी नं. 35 रकबा 0. 5000 हैक्टेयर पर प्रतिवादी गजेन्द्र सिंह का कब्जा तथा आराजी नं. 106 में 0.0100 हैक्टेयर पर रामलाल तथा 0.0500 हैक्टेयर पर बापुनाथ का कब्जा पाया गया। वादी ने प्रतिवादी से उक्त कब्जा खाली करने हेतु कहा तो प्रतिवादी इन्कार हो गया तथा वादी खातेदारी आराजी में जबरन नीवें खोदकर मकान/दुकान आदि का निर्माण करने पर आमदा है। मौके पर लड़ाई झगड़ा करता है इसलिए मजबूरन वादी को यह दावा कब्जेयाबी व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करनी पड़ रही है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री किया जावे तथा विवादित भूमि से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाकर वादी को कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 15:26:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित हुआ तथा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा। बाद में तारीख पेशी पर बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2070-73 ग्राम आक्या की खाता संख्या 106 प्रदर्श-1, पर्चा मौका ग्राम आक्या दिनांक 12.05.2016 की छायाप्रति प्रदर्श-2, नक्शा ट्रेस मौजा आक्या प्रदर्श-3 प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में मांगीलाल पिता बंशीलाल शुक्ला पीडब्ल्यु-1, शशि कुमार पिता लक्ष्मीनारायण जोशी, हीरालाल पिता गोरीलाल धाकड़ पीडब्ल्यु-3 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व बयान करवाये हैं। प्रदर्श-1 नकल जमाबन्दी अनुसार आराजी नं. 35 रकबा 0.5000 हैक्टेयर भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श-2 अनुसार आराजी नं. 35 पर प्रतिवादी गजेन्द्र सिंह का कब्जा प्रकट होता है। प्रदर्श-3 में उक्त कब्जे को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपने हक हिस्से व खाते की भूमि पर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। प्रदर्श-2 में वादी की भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा प्रकट होता है जिसका कोई विधिक आधार प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में वादी को अपने खातेदारी भूमि का कब्जा प्राप्त कर उपयोग उपभोग करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। वादी का दावा डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वे वादी की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करें ना करें ना करावें। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेश दिया जाता है कि वे वादी की खातेदारी की वाके मौजा आक्या की आराजी नं. 35 रकबा 0.5000 हैक्टेयर भूमि का कब्जा प्रतिवादी से वादी को दिलावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 14.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:37 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 150/2016 वाद

मांगीलाल पिता बंशीलाल शुक्ला ब्राह्मण, आयु 75 साल, निवासी आक्या, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

गजेन्द्र सिंह पिता अर्जुन राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कदमाली, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादी

दावा

अन्तर्गत धारा 183, 188 रा.का.अधि.

प्रकरण में आज दिनांक को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री आशाराम प्रजापत की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस के लिए प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वे वादी की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करें ना करें ना करावें। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेश दिया जाता है कि वे वादी की खातेदारी की वाके मौजा आक्या की आराजी नं. 35 रकबा 0.5000 हैक्टेयर भूमि का कब्जा प्रतिवादी से वादी को दिलावे।

यह आज तारीख 14.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:37 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official